

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 90/2026

पतेश्वरीप्रसाद मिश्रा

...याचिकाकर्ताकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, लखनऊ एवं 6 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – दया शंकर तिवारी, आदित्य पाण्डेय

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, पंकज गुप्ता

न्यायालय संख्या – 17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. वाद पुकारे जाने पर, अधिवक्ता श्री अनुराग द्विवेदी ने इस आधार पर स्थगन का अनुरोध किया कि याचिकाकर्ता के दो विद्वान अधिवक्ताओं में से एक, श्री दया शंकर तिवारी, नगर से बाहर हैं।
2. यह पूछे जाने पर कि श्री आदित्य पांडेय न्यायालय में उपस्थित क्यों नहीं हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें उनकी अनुपस्थिति के कारण के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
3. दिनांक 12.02.2026 को इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था :-

"1. याचिकाकर्ता के दो विद्वान अधिवक्ताओं में से एक श्री दया शंकर तिवारी ने नगर से बाहर होने की पर्ची भेजी है और दूसरे विद्वान अधिवक्ता श्री आदित्य पांडेय न्यायालय में उपस्थित नहीं हैं और उनकी ओर से मामले के स्थगन का कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

2. उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री धीरज ओझा, और गाँव सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज गुप्ता के वाद-धारक श्री तालिब खान ने एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई है कि

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

याचिकाकर्ता द्वारा समान अनुतोष के लिए दायर यह दूसरी रिट याचिका है और पक्षकारों के मध्य एक निजी विवाद लंबित है।

3. हालाँकि, न्यायहित में, मामले की सुनवाई स्थगित की जाती है।

4. दिनांक 17.02.2026 को नए वादों की सूची में सूचीबद्ध करें।

5. यदि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित नहीं होते हैं तो न्यायालय याचिका में समुचित आदेश पारित करेगा।"

4. इन परिस्थितियों में, मामले के स्थगन के अनुरोध को अस्वीकार किया जाता है और न्यायालय मामले के गुण-दोष की परीक्षा करने के लिए आगे कार्यवाही कर रहा है।

5. जनहित में दायर इस याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने ग्राम गिधरिया, भीखपुर, तहसील-सदर, जिला-बलरामपुर में स्थित 'चकमार्ग' के रूप में दर्ज भूमि गाटा संख्या 741, क्षेत्रफल 0.0320 हेक्टेयर और 'नवीन परती' के रूप में दर्ज भूमि गाटा संख्या 742, क्षेत्रफल 0.032 हेक्टेयर, से अतिक्रमण हटाने के लिये निर्देश जारी करने की मांग की है।

6. तहसीलदार, सदर, बलरामपुर द्वारा प्रदान किए गए लिखित निर्देशों में कहा गया है कि दोनों प्रश्नगत भूमियाँ अतिक्रमण से मुक्त हैं।

7. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि यद्यपि याचिकाकर्ता ने यह याचिका जनहित में यह दावा करते हुए दायर की है कि इस मामले में उसका कोई व्यक्तिगत हित नहीं है, लेकिन इससे पहले उसने समान अनुतोष के साथ रिट सी संख्या 2934 वर्ष 2024 दायर की थी, जो यह दर्शाता है कि उसकी इस मामले में व्यक्तिगत रुचि है। उक्त रिट याचिका को पोषणीय न होने के कारण खारिज कर दिया गया था और उसके बाद, याचिकाकर्ता ने जनहित में यह दूसरी रिट याचिका दायर की है।

8. रिट याचिका के प्रस्तर 10 में, याचिकाकर्ता ने कहा है कि उसने एक आई.जी.आर.एस. शिकायत दर्ज की है और उसने सिविल जज (जू.डि.), बलरामपुर की न्यायालय में एक सिविल वाद संख्या 603 वर्ष 2022 भी दायर की है जो लंबित है। दिनांक 16.11.2023 को दोनों पक्षकारों का धारा 107 और 116 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत चालान किया गया है। ये तथ्य यह दर्शाते हैं कि याचिकाकर्ता और विरोधी पक्षकार संख्या 7-शिवनाथ

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के मध्य शत्रुता है और याचिकाकर्ता द्वारा विरोधी पक्षकार संख्या 7 के विरुद्ध किसी व्यक्तिगत रंजिश के कारण बार-बार वाद संस्थित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, जब याचिका में दिये गए तर्क के अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक वाद लंबित कहा गया है, तो वाद के लंबित रहने के दौरान रिट याचिका दायर करना विधि में अनुमत नहीं है।

9. निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक निरीक्षण किया गया था जिसमें यह पाया गया कि प्रश्नगत भूमियाँ अतिक्रमण से मुक्त हैं। उपर्युक्त तथ्य इंगित करते हैं कि याचिकाकर्ता और विरोधी पक्षकार संख्या 7 के बीच व्यक्तिगत शत्रुता के कारण, पक्षकारों के बीच सिविल वाद के लंबित रहने के दौरान यह याचिका दायर की गई है, जबकि स्थानीय निरीक्षण में विरोधी पक्षकार संख्या 7 द्वारा अतिक्रमण किए जाने का आरोप गलत पाया गया है।

10. पूर्वोक्त चर्चा के आलोक में, रिट याचिका एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

17 फरवरी, 2026

अमित के

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)